राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 01108/2023

दीपक सिंह रोतेला **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.03.2023
आदेश की दिनांक : 06.04.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.04.2005 द्वारा वरिष्ठ शिक्षक (गणित) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मउ बोरदा, झालावाड़ में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी ने दिनांक 13.05.2005 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी को दो वर्ष का परिवीक्षा काल पूरा होने के बाद दिनांक 01.01.2017 से स्थायी होने की घोषण की। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.03.2016 द्वारा अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पदोन्नत किया गया तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरूकुल झिंझनिया, झालावाड़ में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी के व्याख्याता के पद पर चयन को वर्ष 2015–2016 के स्थान पर वर्ष 2017–2018 बताया गया है लेकिन अपीलार्थी को 2015–2016 की रिक्ति के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर चयनित और पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी की पदोन्नति का 2017–2018 से कोई अवसर नहीं है। अपीलार्थी ने दिनांक 26.08.2022 को जिला अधिकारी को नोटिस भी दिया था जिसको आगे कार्यवाही के लिए दिनांक 12.09.2022 को भेजा गया था लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रकाशित वरिष्ठता सूची दिनांक 10.10.2022 में वर्ष 2017–2018 के विरूद्ध क्रमांक 527 पर अपीलार्थी का नाम दिया गया था एवं अपीलार्थी ने दिनांक 20.10.2022 को आपत्ति आमंत्रित की गयी।

अपीलार्थी ने आपत्ति की लेकिन दिनांक 09.02.2023 के आदेश के माध्यम से उस पर विचार किए बिना ही कुछ व्यक्तियों का चयन वर्ष 01.12.2022 से 21.12.2022 के दौरान आयोजित समीक्षा डीपीसी की सिफारिश के आधार पर सही किया गया लेकिन उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं किया गया।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि वे अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर वरियता सूची वर्ष 2015–2016 जिसमें अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया, आदेश दिनांक 09.02.2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी का नाम चयप वरियता सूची वर्ष 2015–2016 में अपीलार्थी का नाम जोड़ते हुए उसे उच्च पद पदोन्नति पर विचार कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करने के आदेश दिए जावे।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना–पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)